

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
अगवतीमाल बनाम सैवरहीराम सिंह
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 163/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अगवतीमाल</u></p> <p>पिता श्री <u>नन्दमाल जी साठवाण</u></p> <p>निवासी- <u>वस्ती (COR)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>वस्ती</u> <u>(COR)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>235, 3221, 3221/3891, 3221/3892</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>0.100 (1.01)</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>वस्ती (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>235, 3221, 3221/3891, 3221/3892</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>0.100 (1.01)</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पाँच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीने मुख्त) सहस्र जज एड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>